भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1892

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

नई उद्यम पोर्टल विश्लेषण - प्रणाली

1892. श्री प्रवीण पटेल :

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री अभिमन्यु सेठी:

डॉ. हेमांग जोशी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित नीतिगत सहायता की आवश्यकता वाले औद्योगिक और क्षेत्रीय सेक्टरों की पहचान करने के लिए सरकार नए उद्यम पोर्टल विश्लेषण का किस प्रकार उपयोग कर रही है;

(ख) उद्यम पोर्टल को जीएसटी और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करने की क्या योजना है ताकि सिंगल साइन-ऑन सक्षम हो सके तथा एमएसएमई अनुपालन और ऋण सुलभता को सरल बनाया जा सके;

(ग) क्या सरकार ने उद्यम निवेश/कारोबार की सीमा से अधिक उद्यमों के अनिवार्य पुनर्वर्गीकरण और सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ सूक्ष्म इकाइयों तक पहुंचे;

(घ) डाटा उल्लंघन, धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों और अनधिकृत पंजीकरण को रोकने के लिए मोबाइल उद्यम पंजीकरण ऐप में कौन-कौन से सुरक्षा और प्रमाणीकरण सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं; और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेषकर कम डिजिटल तत्परता वाले क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी प्रणालियों को सुचारू रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंडों के आधार पर, वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। तदनुसार, पैन वाले उद्यम के पंजीकरण के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) को दिनांक 01.07.2020 को लॉन्च किया गया था। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) यानी ऐसे उद्यम, जिन्हें जीएसटी दाखिल करने से छूट दी गई है, को औपचारिक रूप देने के लिए, उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) दिनांक 11.01.2023 को लॉन्च किया गया था। उद्यम पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, सरकार विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में वास्तविक समय पर एमएसएमई पंजीकरण की निगरानी करने में सक्षम होती है। यह एनआईसी कोड के अनुसार, उद्यमों को उनकी श्रेणी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम) और कार्यकलाप के क्षेत्र, अर्थात् विनिर्माण, सेवा और व्यापार के आधार पर वर्गीकृत करने में सहायता करता है। उद्यम पंजीकरण का डेटाबेस सरकार को देश में एमएसएमई के लाभ के लिए क्षेत्र विशेष नीतियां और योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्रित क्रियाकलापों की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। सरकार ने दिनांक 01.04.2025 से 2.5 करोड़ रुपए तक के सूक्ष्म उद्यम निवेश और 10 करोड़ रुपए तक के कारोबार, 25 करोड़ रुपए तक के लघु उद्यम निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार तथा 125 करोड़ रुपए तक के मध्यम उद्यम निवेश और 500 करोड़ रुपए तक के कारोबार के मानदंडों को पुनः वर्गीकृत किया है।

(ख) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर डेटाबेस और व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि कार्य करने में आसानी हो। इस एकीकरण के द्वारा उद्यम के सत्यापन को सुव्यवस्थित किया जाता है और एमएसएमई को ट्रेड्स पर आसानी से शामिल होने में सहायता मिलती है, जिससे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के माध्यम से ऋण तक उनकी पहुंच में सुधार होता है।

(ग) : उद्यम पोर्टल पर उद्यमों, जिसमें निर्धारित निवेश या टर्नओवर सीमा से अधिक वाले उद्यम शामिल हैं, का वर्गीकरण, पुन: वर्गीकरण और सत्यापन जीएसटी और पैन-लिंक्ड डेटा का उपयोग करके होता है।

(घ) : उद्यम पंजीकरण केवल ऑनलाइन पोर्टल www.udyamregistration.gov.in. के माध्यम से किया जा सकता है ।

(ङ) : एमएसएमई द्वारा नई तकनीक को आसानी से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। 50 से अधिक एपीआई के माध्यम से उद्यम पंजीकरण पोर्टल को केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टलों/प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करके डिजिटल पहुँच को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम और तकनीकी संस्थान) उन्नत विनिर्माण तकनीकों, प्रशिक्षण और परामर्श के साथ एमएसएमई को सहायता प्रदान करते हैं। गुणवत्ता संवर्धन हेतु जेड 2.0 और डिजिटल सशक्तिकरण एवं बाज़ार तत्परता हेतु व्यापार सक्षमता एवं विपणन (टीम) योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधुनिक प्रणालियों को अपनाने में भी सहायता की जा रही है।

******